मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक-सी/6-2/96/3/एक

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल, 1996

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर्स,
मध्यप्रदेश.

विषय.—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 में संशोधन.

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 (1) एवं 9 (5) (घ) में संशोधन किया गया है. संशोधन की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17-4-96 सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है. तत्संबंध में कृपया अपने अधीनस्थ को अवगत कराने का कष्ट करें.

हस्ता./-
(एस. सी. पण्डया)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ.क्रमांक-सी/6-2/96/3/एक

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल, 1996

प्रतिलिपि :—

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, म. प्र., जबलपुर.
   सचिव, लोकायुक्त, म. प्र., भोपाल.
   सचिव, लोक सेवा आयोग, म. प्र., इन्दौर.
   सचिव, कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड, म. प्र., भोपाल.
   महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म. प्र., भोपाल.
2. सचिव, विधान सभा सचिवालय, म. प्र. भोपाल.
   राज्यपाल के सचिव, म. प्र., राजभवन, भोपाल.
3. मा. मुख्यमंत्री जी/उप मुख्यमंत्री जी/मंत्रीगण एवं राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म. प्र.
4. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म. प्र., भोपाल.
5. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
6. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, म. प्र., भोपाल.
7. रजिस्ट्रार, म. प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर/भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर.
8. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर.

9. प्रमुख सचिव/सचिव/उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय.
10. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाधिकारी/पुस्तकालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल.
11. आयुक्त, जनसंपर्क, म. प्र., भोपाल

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
(यू. एस. बिसेन)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल, 1996

क्रमांक-सी/6-2/96/3/एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधान

उक्त नियमों में, नियम-9 में,

(एक) उप नियम (1) के विद्यमान परन्तुक में शब्द "परन्तु" के स्थान पर शब्द "परन्तु यह और भी कि" स्थापित किये जायें, और

(दो) उप नियम (1) के विद्यमान परन्तुक के पूर्व निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाय, अर्थात् :—

"परन्तु शासकीय सेवक को सदैव निलंबित किया जायेगा जबकि भ्रष्टाचार या अन्य नैतिक पतन में अन्तर्वलित दाण्डिक अपराध में उसके विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया गया हो".

(तीन) उप नियम (5) के खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"परन्तु नियम-9 के उप नियम (1) के प्रथम परन्तुक के अधीन किया गया निलंबन आदेश तब तक प्रतिसंहृत नहीं किया जायेगा जब तक उसके बारे में सरकार द्वारा कारण स्पष्ट करते हुए आदेश पारित नहीं कर दिया जाये"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(एस. सी. पण्डया)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल 1996

क्र. सी/ 6-2-96-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. सी/ 6-2-96-3-एक, दिनांक 17 अप्रैल 1996 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(एस. सी. पण्डया)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
MANTRALAYA

NOTIFICATION

Bhopal, the 17th April 1996

No. C-6-2-96-3 (1).—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Civil Service (Classification, Control and Appeal) Rule, 1966, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 9,—

(i) in the existing proviso to sub-rule (1) for the words "Provided that" " the words "Provided further that" shall be substituted; and

(ii) before the existing proviso to sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that a Government Servent shall invariably be place under suspension when a challan for a criminal offence involving corruption or other moral turpitude is filed against him".

(iii) to clause (d) of sub-rule (5) the following proviso shall be added, namely :—

"Prvoided that an order of suspension made under the first proviso to sub-rule (1) of rule 9 shall not be revoked except by an order of the Government made for reasons to be recorded".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
Sd/-
(S. C. PANDYA)
Dy. Secy.
Goverment of Madhya Pradesh
General Administration Department.